रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2001/पौष 21, 1922

No. 20] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2001/PAUSA 21, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 20(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

ये विनियम कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2001 कहे जाएंगे और सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कंडला पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के विनियम 8(vi) के तत्काल बाद विनियम 3 के उप विनियम 9(i) और (ii) के रूप में निम्नलिखित जोड़े जायेंगे :—

(i) कोई भी कर्मचारी उसे आबंटित किया गया बोर्ड का निवास स्थान किसी अन्य को उप किराये पर, पट्टे पर नहीं देगा अथवा अन्यथा रहने की अनुमति नहीं देगा।

(ii) कोई भी कर्मचारी बोर्ड के निवास स्थान से संबंधित उसका आबंटन रद्द हो जाने के बाद आबंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर उसे खाली कर देगा।

3. कंडला पोर्ट कर्मचारी आचरण विनियम, 1964 के विनियम 19(ग) के तुरन्त बाद विनियम 20 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

20. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रतिषेध :

(1) कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे किसी महिला का यौन उत्पीड़न हो। यौन उत्पीड़न में ऐसे अवांछित यौन अवधारित व्यवहार (चाहे प्रत्यक्षत: अथवा विवक्षित हो) समाविष्ट हैं जैसे :

(क) शारीरिक स्पर्श और प्रस्ताव।

(ख) यौन अनुग्रह हेतु मांग अथवा अनुरोध।

(ग) यौन आभासी टिप्पणियां।

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना।

(ड.) यौन प्रकार के अवांछित शारीरिक, शाब्दिक अथवा अशाब्दिक आचरण।

(2) प्रत्येक कर्मचारी यह सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी भी कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न हो।

(3) कार्यस्थल के सभी प्रभारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(4) वर्तमान विनियम 20 और 21 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाए।

[मिसिल संख्या पी.आर.-12016/26/99-पी.ई.-I]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : —(1) मुख्य विनियम सा.का.नि. संख्या 303 द्वारा प्रकाशित किया गया।

(2) पश्चात्वर्ती संशोधन, सा.का.नि. संख्या 798 दिनांक 31-8-89 द्वारा प्रकाशित।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2001

G.S.R. 20(E).—In pursuance of Sub-Section (1) of Section 124 of the Major Ports Trust Act, 1963, the Central Government hereby makes the following amendment in the Kandla Port Employees (Conduct) Regulations, 1964, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, namely :

SCHEDULE

Kandla Port Trust Employees (Conduct) Amendment Regulations, 2001

1 Short title and commencement :

These regulations shall be called the Kandla Port Trust Employees (Conduct) Amendment Regulations, 2001 and shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. The following shall be added as Sub-Regulations 9(i) and (ii) of the Regulation 3 immediately after Regulation 8 (vi) of Kandla Port Employees (Conduct) Regulations, 1964 .

(i) No employee shall sublet, lease or otherwise allow occupation by any other person of the Board's accommodation which has been allotted to him.

(ii) An employee shall, after cancellation of his allotment of Board's accommodation vacant the same within the fixed limit prescribed by the allotting authority

3. The following shall be added as Regulation 20 immediately after Regulation 19 (c) of Kandla Port Employees (Conduct) Amendment Regulations, 1964.

20 PROHIBITION OF SEXUAL HARASSMENT OF WORKING WOMEN

(1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any women at work place Sexual harassment for this purpose includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as .

(a) Physical and advances.

(b) A demand or request for sexual favour.

(c) Sexually coloured remarks.

(d) Showing Pornography.

(e) Any other unwelcome Physical, Verbal or non-Verbal conduct of sexual nature

(2) Every employee shall take all possible steps to ensure that all employees for the time being under his control and authority, keep away from any act of sexual harassment of working women

(3) Every employee who is Incharge of work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any women at such working place.

(4) The present Regulation number 20 shall be re-numbered as 21.

[F. No. PR-12016/26/99-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note : (1) The Principal Regulation was published vide GSR No. 303.

(2) Subsequent amendment vide GSR No 798 dated 31-8-89.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054